न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

रेस्टो० 87-II-15

प्रकरण क्रमांक R-522-I/2014

बदन सिंह पुत्र श्री छोटेराम मीणा

आयु 57 वर्ष, धन्धा–कृषि

निवासी– ग्राम अमोदा, तहसील बजीला,

जिला विदिशा म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन, देवराज मीणा

व अन्य ----- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3)म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है–

01. यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2014 को एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है।
02. यह कि आवेदक ग्राम अमोदा तहसील बजीला, जिला विदिशा का निवासी व कृषक है।
03 यह कि आवेदक 57 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, उसका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। आवेदक का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र तर्क के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
04. यह कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उसको सूचित नही किया गया उक्त कारण से आवेदक के प्रकरण मे माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया।
05. यह कि आवेदक को अपने मिलने वाले से प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई तो अविलम्ब वह माननीय न्यायालय में उपस्थित हो गया है।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निरन्तर.........2

10/12/15	श्री तुलसीराम, अधि. आवेदक की ओर से उप. उन्हें पुनर्स्थापन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह प्रकरण शामिल मिसल हो।	